

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>राजा अरिंदर कुमार अरेक कुमार वजे हुक्म या कार्यवाही भय लघु हस्ताक्षर जज प्राथमिक प्रमाण (निवेदन) 20-11-2023</p>
<p>18/01/23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 09/01/23 को पेश हो।</p>
<p>09-6-23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12-7-23 को पेश हो।</p>
<p>12-7-23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22-8-23 को पेश हो।</p>
<p>22-8-23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 09-10-23 को पेश हो।</p>
<p>9-10-23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20-11-23 को पेश हो।</p>
<p>20-11-23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23-2-24 को पेश हो।</p>
<p>29.01.2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मिस्टर तलबी का पेश करने पत्रावली आज की तारीख पेशी में तलब की गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि इस प्रकरण से जुड़े मूल वादपत्र का आज निस्तारण हो चुका है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का औचित्य नहीं है। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व निवेदन पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के आलोक में मूल वादपत्र मुकदमा नम्बर 15/2022 का निस्तारण किया जा चुका है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का कानूनन आगे चलाने की कोई विधिक स्थिति नहीं रही है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>

Pastor
28/01/24

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फा. नै. त.)
श्रीमाधोपुर (नीमकावा)

प्रार्थी
का माप
अस्थाई
निषेधाज्ञा
दिनांक
23/01/24

